232

माननीय सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / /2018 निगरानी

निगरानी-3099/2018/मुरैना/भू.रा.

श्री पर्दे श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि. 21-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

21-5-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नरेश पाठक पुत्र श्री बाबूलाल पाठक, निवासी :- ग्राम नैपरी तहसील कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.)

बनाम

मुकेश शुक्ला पुत्र श्री मुरारीलाल शुक्ला, निवासी :- ग्राम नैपरी तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.,1959 विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/16-17अपील माल में पारित आदेश दिनांक 03/05/18 से दुखित होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थी की निगरानी श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है

निगरानी के तथ्य:-

1. यहकि, निगरानीकर्ता को तहसील कैलारस के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 401/13-14 की 121 में पारित आदेश दिनांक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3099/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	